रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 sub- Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2015/श्रावण 29, 1937
No. 519] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2015/SRAVANA 29, 1937

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 646(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षण सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, संरक्षण सहायक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : —

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन : कार्यालय आदेश सं. 2-18/88-एनएम तारीख 6.3.1989 और 4.5.1990 तथा 5-2/93-एनएम तारीख 17.07.1997 के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षण सहायक का उक्त पद धारण करने वाला और इस पर कायम रहने वाला पदधारी इन नियमों के अनुरूप नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उनकी नियमित एवं निरंतर सेवा पर ज्येष्ठता, प्रोन्नति और सेवा संबंधी अन्य निबंधन और शर्तों के लिए विचार किया जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों,और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संरक्षण सहायक	4* (2015)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. और ग्रेड वेतन 2800 रू.	लागू नहीं होता।	27 वर्ष से अनधिक। **टिप्पण-1** :- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है **टिप्पण-2** : - आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायनशास्त्र सहित विज्ञान में बैचलर डिग्री या ललित कला में डिग्री। (ii) 500 पुरावस्तुओं या अधिक संग्रह वाले केंद्रीय या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या निजी संग्रहालय के नियंत्रणाधीन किसी संग्रहालय या कला वीथि में कला वस्तुओं के संरक्षण में दो वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एम.ए. (कला संरक्षण) **टिप्पण** - अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 5200-20200 रु. और ग्रेड-वेतन 2400 रु. में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास इस अनुसूची के स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय प्रोन्नति समिति (संपुष्टि के लिए) :- 1. . निदेशक (संग्रह और प्रशासन), राष्ट्रीय संग्रहालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय संग्रहालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 6-18/2013-एम-1]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2015

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Conservation Assistant in the National Museum, New Delhi in the Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement**. **—** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Conservation Assistant, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale**. **—**The number of the said post, its classification, the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. —**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial constitution. —**The incumbents holding the said post of Conservation Assistant specified in the Schedule in accordance with the office order No. 2-18/88-NM dated 06.03.1989 and 4.5.1990 and 5-2/93-NM dated 17.07.1997 and continuing as such shall be deemed to have been appointed in accordance with these rules and their regular & continuous service before the commencement of these rules shall be taken into consideration for seniority, promotion and other terms and conditions of service.

6. **Power to relax. —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Conservation Assistant	* 4 (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial.)	PB-1,Pay Band Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800	Not applicable	Not exceeding 27 years. **Note-1** Relaxable upto 40 years for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note-2** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those is Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).	**Essential:** (i)Bachelor's degree in Science with Chemistry as one of subjects or Degree in Fine Arts from a recognised University. (ii)Two years' experience in Conservation of Art objects in a Museum or Art Gallery under the control of Central or State/Union Territory or Private Museum with a collection of 500 artifacts or more. or MA (Art Conservation) from a recognised University or Institution. Note: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any. .	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods .	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on deputation basis from officers of the Central Government or State Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Pay Band Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of 2400 in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	**Departmental Promotion Committee (for confirmation):—** (1) Director (Collection and Administration), National Museum - Chairman (2) Under Secretary, Ministry of Culture – Member (3)Administrative officer, National Museum - Member	Not applicable

[F. No. 6-18/2013-M-1]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.